

## क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE

पंजीकृत पावती देय Registered AD

सी/C-11

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## **EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

	No.10, Binny	DEL TEMPORALIZATE - 560 023 F
	ख्या/No. KAR • INSPN • 53-25681-101	0(१) तथा 41 के सहस्र केनेपान के बाहन्य से दिनांक/Date 4 MAY 2008 है संख्या सहित कारी किया जिल्ला का किया पर होते.
मैस	HE FLOUL INE ENGINEERS	Principal firm open to a new checked of the hiddlety dader terring and a new or
	No.14, 18th Main. VII Cf	SS LIVE OF THE STATE OF THE STA
	B.T.M II Stage, Bangalor	76 ASI Code Contacts
	1(5) के अधीन कारखानी तथा स्थापनाः ubject : Implementation of the E.S.I. Act.	1948 and Registration of Employees of U. T.
	Establishments under Section 2(12	1/1(5) of the Act as amended.
महो	होदय/Dear Sir/s,	
1)	आपको सचित किया जाता है कि कर्मनारी गुन्स नीया	18 Par 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
,	विगंक	अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या
	स्थापनाओं को अधिनियम के अधीन व्याप्त करने हेतु अधिर्	क्षेत्र में सभी कारखानों/
	It is informed that under Section 1(3) of the E.S.I. Act, 1948 the Central Government has vide notification No	
	within the (Area)	the Act applicable to all factories/establishments covered under the Act
	tale to the same of the same o	
2)	यह भी सूचित किया जाता है कि समुचित सरकार ने अधि	वियम की धारा 1(5) के अधीन अधिसूचना संख्या
	द्वारा , ह	गरीख से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबंधों /धाराओं का विस्तार कर दिया है।
	It is further informed that the appropriate Government	ent has extended the provisions of the Act to other cotal in
	Section 1(5) of the Act with effect from	5 (vide notification No. dated 24-2-76
3)	विकास का जाता देना जा जाजान एस कारिस्वान (स्वापन) व	The state of the s
	नियाजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मर की अदायगी करें।	गरियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अधीन व्याप्त सभी कर्मचारियों के अंशदान
	Under Section 2-A of the Act such a factory/establish	shments is required to register itself under the Act and chapter IV thereof ereof to insure his employees and pay contributions in respect of these
4)	आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण वे	अनुसार दिनांक की बीमा निरीक्षक/शाखा कार्यालय
	प्रबन्धक द्वारा आपके कारखाने/स्थापना की निरीक्षण संबंधी नि	रीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापना दिनांक
	में अधिनियम की धारा 2(12)/1(5) की सीमा में आता है	फिर भी यदि, बाद में जाँच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/
	स्थापना उल्लिखित तारीख से पहले व्यप्ति योग्य था तो उस पिर	व्हितारीख से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
	On the basis of the particulars in respect of your	iactors/establishment submitted by you, the report of the inspection
	conducted by the Insurance inspector/Branch Office	who Inspected your had y/establishment on 4-4-08
	your moony / establishment falls within the purview	of Section 449/1(5) of the Act with effect from 1-2-08 *
5)	आपसे अनुरोध, है कि आप अधिनियम के अधीन व्याप्ति की त	the provision of the Act from such earlier date (Provisionally) ारीख से आप अपने कारखाने/स्थापन के कर्मचारियों के घोषणा-पत्र भरने तथा उनके

53-25681-101

- 3) अनुरोध है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औषाधलयों की सूचियों का अपने कारखानों/स्थापना मैं भरसक प्रचार करें तािक आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा औषधालयों/बीमा चिकित्सा व्यवसायियों का चयन कर सकें। अपेक्षित फार्म आदि उपरिलिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें जिसके साथ आपके सभी कर्मचारी भी सम्बद्ध होंगे।
  - It is requested that publicity may kindly be given to list of insurance medical practitioners. State Insurance Dispensaries to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required forms etc., may please be collected from the Branch Office mentioned above to which all your employees will also be attached.
- 8) निगम के कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव एवं आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम तथा विनियम के उपबंधों का समय से अनुपालन करेंगे। The Corporation Officials would be pleased to give all necessary and possible guidance to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948 and I am confident of prompt and early compliance under the provisions of the ESI Act and Registion on your part.
- 9) कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक शाखाओं की एक सूची संलग्न है। आप अपनी सुविधानुसार इन शाखाओं में से कोई एक शाखा चुनने की कृपा करें और इसकी सूचना इन कार्यालय को तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें तथा केवल उक्त शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि जमा करायें। यदि इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर आपसे कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो जिस अधिकृत शाखा विशेष में आपने अंशदन की राशि जमा कराई होगी उसे आपके कारखाने/स्थापन के लिए ''नामित शाखा'' मान लिया जाएगा।

  A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may choose one of the Branches convenient to you, under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of this letter, the amount of contribution deposited in one of the specified branch would be considered as "Nominated Branch" for your factory/establishment.
- 10) योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/हितलाभों नियोजक आदि के उत्तरदायित्वों की विवरणिका/इश्तहार इसके साथ इस निवेदन के साथ संलग्न है कि योजना के बेहतर कार्यचालन के लिए इसका व्यापक प्रचार करें।

A brochure/leaflet containing benefits available under the scheme and obligation of the employer etc. is enclosed herewith with request to give wide publicity towards smooth functioning of the scheme. \*\*State Bank Of India No.472,12th Cr,

कृपया विलंब से बचने के लिए, सभी पत्राचार में, अपनी कूट संख्या का उल्लेख करें।
 Please indicate your Code No. on all correspondences to avoid delay.

Bangalore-27.

Wilson Garden,

(N.ANANDA KUMAR) उप निवेशक/DY. DIRECTOR

भवदीय/Yours faithfully,

अनुलग्नक/Encl: As stated above

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित : Copy for information and necessary action to :

- प्रबंधक, शाखा कार्यालय Adugodi
   The Manager, Branch Office
- 2) EDP Centre
- 3) बीमा निरीक्षक

The Insurance Inspector .Banashankar.i प्रभाग/Division

प्रधान नियोजक का नाम

Name of the Principal Employer : Smt Annapurna, Partner, कर्मचारियों की संख्या Ph. No. 41237149

कर्मचारियों की संख्या No. of Employees

: 22

कारखाना लाइसेंस संख्या, यदि कोई हो Factory Licence No. if any

4) सी-6 भारवा